प्रकरण संख्या 04/2023 सरदारसिंह व अन्य बनाम रामलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.05.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तलाई में आराजी नंबर 73 रकबा 18 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज है। उक्त 18 बिस्वा में से 7 बिस्वा 30 x 30 वर्ग गज कुल 900 वर्ग गज अर्थात 8100 वर्ग फिट भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी 8 के पिता पेमा पिता लाला ने प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता हमेरसिंह पिता जवानसिंह से दिनांक 15.04.1969 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तब से वादीगण का आधिपत्य चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 8 शंकरलाल हम वादीगण का सबसे बड़ा भाई है। फैमिली सेटलमेन्ट के दौरान हमारे पिता जी द्वारा मौरूसी भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को दे दी गयी, जिस पर उसका कब्जा है, जबकि इस विवादित 7 बिस्वा पर कब्जा हम वादीगण का ही चला आ रहा है, जिससे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी हम वादीगण खातेदार हो चुके हैं। अतः विवादित आराजी नंबर 73 रकबा 18 बिस्वा में से 7 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 04.01.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो जाने के कारण अपीलान्ट के निवेदन पर दिनांक 10.01.2023 को अपील पुनः नंबर पर ली जाकर दर्ज रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक [illegible] वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते [illegible] न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अ[illegible] को सूचना दि[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:45 IST
Reason: SelfAttested

बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण दिनांक 25.05.2015 को प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत था, किन्तु उससे पूर्व ही 22.05.2015 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 जो उसका भाई होकर हितबद्ध था, ने मिलकर अपीलान्ट को बिना सुने व बिना राजीनामा कराये वाद डिक्री करवा लिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 में विवादित आराजी नंबर 73 रकबा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अर्थात हाल अपीलान्टगण एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 9 के सहखातेदारी में दर्ज है, जबकि प्रदर्श 2ए उनके पिता हमेरलाल द्वारा उक्त आराजी में से 30 x 30 अर्थात 900 वर्गगज भूमि का रजिस्टर्ड बेचान वादीगण के पिता पेमा के पक्ष में किया जाना स्पष्ट प्रकट होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार कर उन्हें विवादित आराजी नंबर 73 रकबा 18 बिस्वा में से 30 x 30 अर्थात 900 वर्गगज, जिसका वर्तमान जरीब से रकबा 7 बिस्वा होता है, का खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 177/2009 में पारित निर्णय एवं डिक्री 22–05–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:45 IST
Reason: SelfAttested

(...पसिंह सांगावत)
...बन्ध अधिकारी
एवं ... राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर